

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर०ए०एस०

पंचायत निगरानी सं. : 25/2019

अपीलान्ट्स

प्रहलादराम पुत्र जीवाराम, कौम राव, निवासी गांव पाल, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. रामविलास पुत्र मोहनलाल, कौम माहेश्वरी (फोफलिया), निवासी – गांव खारिया खंगार, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर। हाल ग्रसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (व्हाईट सीमेन्ट लिमिटेड), खारिया खंगार, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत पाल जरिये सरपंच महोदय, गांव पाल, तहसील व जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत पाल जरिये ग्राम सेवक पाल तहसील व जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 सपठित पंचायत राज नियम 1996 विरुद्ध ग्राम पंचायत पाल सरपंच का आदेश दिनांक 27.11.1976 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा जिसके पट्टा नम्बर 28 मिसल संख्या 110/76-77 को निरस्त फरमाने बाबत।

— — —

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रामसुख शर्मा उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री एस० के० चाण्डक उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक श्री उमेश मेवाड़ा अनुपस्थित।

—आदेश —

दिनांक : 10.12.2019

प्रार्थी अभिभाषक ने यह पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 सपठित पंचायत राज नियम 1996 विरुद्ध ग्राम पंचायत पाल सरपंच का आदेश दिनांक 27.11.1976 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा जिसके पट्टा नम्बर 28 मिसल संख्या 110/76-77 को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी (निगरानीकर्ता) का एक कब्जासुदा प्लॉट गांव पाल के खसरा नं० 105 में स्थित है। उक्त कब्जासुदा प्लॉट पर प्रार्थी ने 30 वर्ष पहले रहवासीय मकान बनाया जिसमें प्रार्थी के नाम से ही बिजली व पानी का बिल आता है। अप्रार्थी संख्या 1 न तो पाल गांव का निवासी है और न ही अप्रार्थी संख्या 1 को पाल गांव में कोई जानता है।

प्रार्थी द्वारा मकान का पट्टा प्राप्त करने के लिये पंचायत में आवेदन किया तो कब्जासुदा प्लॉट के जमीन की किस्म अंगौर की भूमि होने से पट्टा जारी करने में समस्या आ रही है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के कब्जासुदा प्लॉट वाली जमीन का आज तक ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी नहीं किया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को अपना किरायेदार होना बताकर प्रार्थी के खिलाफ सिविल न्यायालय में वाद पेश किया। उक्त जमीन का पट्टा ग्राम पंचायत पाल ने सन् 1976 में अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी कर रखा है। जिसके मिसल नं० 110/76-77 व पट्टा संख्या 28 है। जब प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने पट्टे की नकल सिविल न्यायालय से मांगी तब प्रार्थी को नकल नहीं दी एवं बताया कि अदालत में केवल पट्टे की फोटो कॉपी से प्रमाणित नकल नहीं दी जा सकती है। सिविल न्यायालय ने दिनांक 21.05.2007 को दावा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टे की फोटो कॉपी को देखा तो पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर प्रार्थी की कब्जासुदा जमीन एवं रहवासीय मकान वाली जमीन का पट्टा बना दिया। वास्तविकता तो यह है कि इस प्रकार का कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है और इस बाबत ग्राम पंचायत पाल में कोई रेकॉर्ड नहीं है। इससे व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है।

निगरानीकर्ता ने सर्वप्रथम यह निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां दिनांक 08.11.2016 को पेश की गयी। श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश क्रमांक 1927 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा इस न्यायालय को सुनवाई हेतु मुतकिल की गई। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रकरण में नियमित सुनवाई प्रारम्भ की गई। इस प्रकरण में वकूलाय फरीकेन की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक रामसुख शर्मा ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या-01 के पक्ष में ग्राम पंचायत पाल पंचायत समिति लूणी द्वारा जारी पट्टा दिनांक 27.11.1976 के विरुद्ध में पेश की है। अप्रार्थी संख्या-01 ने उजागर किया कि ग्राम पाल के खसरा नम्बर-105 गैर मुमकिन आगोर की जमीन पर एक भूखण्ड अप्रार्थी संख्या-01 ने जरिये निलामी ग्राम पंचायत पाल से खरीद किया तथा निलामी से खरीद किये गये भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत पाल द्वारा दिनांक 27.11.1976 को जारी किया, जिसके मिसल संख्या-110/76-77 होना बताया गया। अप्रार्थी संख्या-01 का यह कहना है कि अप्रार्थी संख्या-01 ने सन् 1976 भूखण्ड निलामी से खरीदा एवम् ग्राम पंचायत पाल ने वर्ष 1976 में पट्टा जारी किया।

अप्रार्थी संख्या-01 के कथन एवम् पट्टे की तारीख के अनुसार ग्राम पंचायत ने जब पट्टा जारी किया उस वक्त राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 लागू था।

राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा-255 के अनुसार ग्राम पंचायत उसी जमीन का पट्टा जारी करने का अधिकार रखती थी कि जिस जमीन का पट्टा जारी कर रहे है, उक्त जमीन आबादी भूमि होनी चाहिये। आबादी का मतलब जमीन राज्य सरकार की आज्ञा से, राज्य सरकार के अधीन भूमि ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दी गई हो। इसके बाद ग्राम पंचायत तीन प्रकार से जमीन बेचान कर सकती है। प्रथम बेचान, द्वितीय निलामी एवम् तृतीय आवंटन से। इसके बाद धारा-266 में पंचायत को पट्टे जारी करने का अधिकार दिया गया है। पंचायत अधिनियम में कानूनीया प्रावधान एवम् नियम निर्धारित है कि ग्राम पंचायत को जमीन निलामी से बेचान करना चाहे तो उस जमीन का पहले प्लान एवम् नक्शा तैयार करना होगा, इसके बाद निलामी का नोटिस चरप्पा करना होगा, इसके बाद आपत्तिया आने पर पहले आपत्तियों पर सुनवाई कर निर्णय करना होगा उसके बाद धारा-262 में जमीन निलाम करने की पंचायत आज्ञा देगी। नोटिस में तारीख, समय, स्थान का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। निलामी में बोली लगाने वाले को अंतिम बोली पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी तथा शेष सम्पूर्ण राशि निलामी की तारीख से दो माह में जमा करवानी होगी। पंचायत अधिनियम की धारा-264 में प्रावधान है कि बोली दो दिन तक लगनी चाहिये तथा उसके बाद अंतिम बोली पर धारा-265 में निलामी की पुष्टी की जाती है। इसके बाद रकम जमा हो जाने पर धारा-271 में विक्रय विलेख जारी किया जाता है।

माननीय न्यायालय को निगरानी याचिका में यह देखना होगा कि ग्राम पंचायत ने जो पट्टा जारी किया है, उक्त पट्टा कानूनीया प्रावधान एवम् नियमों की पालना कर जारी किया या नहीं। अप्रार्थी संख्या-01 जो अपने हक में पट्टा जारी करना बता रहा है, उक्त पट्टा जारी करने बाबत ग्राम पंचायत पाल में कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यह ग्राम पंचायत पाल ने यह लिखित में दिया है कि अप्रार्थी संख्या-01 के हक में जो पट्टा बताया गया है, उक्त पट्टा ग्राम पंचायत पाल ने जारी नहीं किया है। ना ही पट्टा जारी करने का कोई रेकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध है। पंचायत द्वारा जमीन के निलामी की कार्यवाही करना तथा जमीन निलाम करना, जमीन की कीमतन रकम जमा होना, एवम् निलामी की पुष्टी कर पट्टा जारी करने का आदेश देना एवम् पट्टा जारी करने सम्बन्धी ग्राम पंचायत पाल में कोई रेकॉर्ड दस्तावेज सबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा अप्रार्थी को निलामी में जमीन बेचान करना एवम् पट्टा जारी करना

किसी भी आधार पर माना नहीं जा सकता है। इसका मतलब अप्रार्थी ने निलामी से कोई जमीन खरीद नहीं की, न ही ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के हक में कोई पट्टा जारी किया। तथाकथित अप्रार्थी जो पट्टा बता रहा है, उक्त पट्टा वैध पट्टा नहीं है। अब पट्टा वैध नहीं है तो उक्त दस्तावेज का कानूनीया कोई आधार नहीं है। दस्तावेज काबिल खारिज करने योग्य है।

अप्रार्थी स्वयं यह स्वीकार करता है कि तथाकथित पट्टे वाली जमीन खसरा संख्या-105 ग्राम पाल की जमीन है। उक्त जमीन राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन आंगोर की जमीन है। गैर मुमकिन आंगोर की जमीन पर ग्राम पंचायत पट्टा जारी नहीं कर सकती है। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार तथाकथित पट्टे वाली जमीन आबादी की आज भी नहीं है। गैर मुमकिन आंगोर की जमीन की किस्म परिवर्तन नहीं की जा सकती है और न ही जमीन की किस्म परिवर्तन करवाये बिना ग्राम पंचायत को जमीन निलाम करने का एवम् पट्टा जारी करने का कोई अधिकार है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि ग्राम पंचायत ने प्रावधान एवम् निर्धारित नियमों की पालना किये बिना तथाकथित पट्टा जारी किया है, जो पट्टा वैध नहीं है, काबिल निरस्त करने योग्य है।

अप्रार्थी को स्वयं यह ध्यान नहीं है कि तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत पाल ने किस खसरे की जमीन पर जारी किया है। पट्टे की फोटो कॉपी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पट्टे पर खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है, इसलिये यह भी नहीं माना जा सकता है कि पट्टा खसरा संख्या-105 ग्राम पाल की जमीन पर जारी किया गया। पट्टे में प्लॉट संख्या-5/13 उल्लेखित किया गया। प्लॉट नम्बर-5/13 किस आधार पर उल्लेखित किया गया, इसका कोई सबूत अप्रार्थी के पास नहीं है। पट्टे में यह उल्लेखित किया गया कि प्लॉट खालसा जमीन का जारी किया गया तो खालसा जमीन का भी कोई रेकॉर्ड होना चाहिये। पट्टे में कहीं उल्लेख नहीं है कि पट्टा जमीन निलाम कर जारी किया गया। ग्राम पंचायत की कोई कार्यवाही व कोई प्रस्ताव नहीं है। पट्टे में प्रस्ताव संख्या, दिनांक सारे फर्जी लिखे गये हैं। पंचायत रेकॉर्ड में ऐसा कोई प्रस्ताव, पट्टा जारी करने की प्रक्रिया तथा जमीन के निलामी की कार्यवाही का कोई सबूत नहीं है। पट्टे में जो जमीन की कीमत बताई गई है, उक्त राशि पंचायत में जमा करवाने का कोई सबूत नहीं है। अप्रार्थी एवम् तत्कालीन सरपंच हीराराम के व्यापारिक सम्बन्ध थे तथा अप्रार्थी खारिया खंगार का रहने वाला है। पाल ग्राम से अप्रार्थी को कोई लेना देना नहीं था। अप्रार्थी पाल गांव का निवासी नहीं है। जमीन निलामी का

जब पंचायत का नोटिस नहीं है तो अप्रार्थी को कैसे पता चला कि पंचायत जमीन निलाम कर रही है तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत ने जारी नहीं किया बाजार से खाली पट्टा लाकर उसमें मनमर्जी से नाम, पते एवम् नाप, पाड़ौस उल्लेख कर सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर दिये। अप्रार्थी को पता था कि पट्टा फर्जी है, इस कारण लम्बे समय तक पट्टे को छुपाकर रखा। पूर्व सरपंच का स्वर्गवास होते ही पट्टे के आधार पर कार्यवाही करनी शुरू कर दी। अप्रार्थी की तरफ से बहस कर अधिवक्ता महोदय ने बताया कि पट्टे के आधार पर अप्रार्थी ने प्रार्थी के खिलाफ वर्ष 2004 में दीवानी वाद पेश किया। अप्रार्थी ने वर्ष 2004 में तथाकथित पट्टे के आधार पर प्रार्थी को कब्जासुदा रहवासीय मकान को अपना होना बताकर दावा किया। स्वामित्व की घोषणा, बेदखली एवम् कब्जा प्राप्त करने का दावा किया। अप्रार्थी के दावा से यह स्पष्ट हो जाता है कि तथाकथित पट्टा सन् 1976-77 में जारी करना बता रहे हैं एवम् दावा वर्ष 2004 में किया यानि पट्टा जारी करने के 27 वर्ष बाद दावा पेश किया तथाकथित पट्टे के आधार पर जिस प्लॉट को अप्रार्थी ने अपना होना बताकर दावा पेश किया। उक्त प्लॉट पर प्रार्थी का 33 वर्षों से कब्जा है तथा प्रार्थी ने प्लॉट पर अपना रहवासीय मकान बनाया। मकान में बिजली पानी की सुविधा अपने नाम से प्राप्त की। अप्रार्थी ने अपने दावे में यह अभिवचन किया कि अप्रार्थी ने सन् 1976 पट्टा प्राप्त करने हेतु पंचायत में आवेदन किया, ग्राम पंचायत ने दिनांक 17.09.1976 को पट्टा जारी करने बाबत प्रस्ताव लिया, जिसके प्रस्ताव संख्या-3 है, प्लॉट निलामी बोली में खरीदा, प्लॉट की कीमत 144/- रुपये ग्राम पंचायत में जमा करवाये, पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत ने मिसल तैयार की, जिसके मिसल संख्या-110 है। अप्रार्थी ने दीवानी वाद में अपने अभिवचन को साबित करने हेतु उपरोक्त कोई दस्तावेज पेश नहीं किया न ही कोर्ट में दस्तावेज प्रदर्श करवाया। केवल मात्र तथाकथित पट्टे को प्रदर्शित करवाया गया। अप्रार्थी ने दावे में यह नहीं बताया कि पंचायत ने प्लॉट का कब्जा कब सुपुर्द किया। अप्रार्थी को यह भी पता नहीं है कि ग्राम पाल नगर निगम सीमा में नहीं है। पाल ग्राम पंचायत है, जो नगर निगम, जोधपुर के अधीन नहीं है। पंचायत समिति लूणी में है।

अप्रार्थी ने जो दीवानी वाद प्रार्थी के खिलाफ पेश किया, उसमें तथाकथित पट्टे की वैधता अथवा अवैधता का प्रश्न विचारणीय नहीं था। पट्टा वैध है या नहीं इस बाबत सिविल न्यायालय ने विचार कर कोई निर्णय नहीं किया है। सिविल न्यायालय ने दिनांक 21.05.2007 को दावा निर्णय कर अप्रार्थी के पास प्रथम दृष्टया पट्टा होना मानकर प्रार्थी को प्लॉट पर अतिक्रमी मानकर प्रार्थी को यह आदेश दिया कि प्रार्थी

अप्रार्थी को प्लोट के उपयोग एवम् उपभोग की राशि माहवारी एक हजार रूपये अदा करे। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि पट्टा सिविल न्यायालय ने वैध माना है, अप्रार्थी के अधिवक्ता के कथन बिल्कुल झूठे हैं। सिविल न्यायालय ने पट्टे की वैधता बाबत कोई निर्णय नहीं दिया है। पट्टे की वैधता पर विचार करने का अधिकार माननीय न्यायालय को है, सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत ने वैध जारी किया या नहीं यह निर्णय माननीय न्यायालय करेगा। पट्टे की वैधता पर विचार कर माननीय न्यायालय कोई निर्णय आदेश पारित करता है, तो इस पर सिविल न्यायालय की कोई रोक स्थगन नहीं है।

सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.05.2007 के विरुद्ध प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश कर दी है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह कथन झूठा पेश किया कि प्रार्थी की अपील माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। प्रार्थी की अपील आज भी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जो सिविल प्रथम अपील संख्या-424/07 बअनवान प्रहलादराम बनाम रामविलास के नाम से है, जिसकी तारीख पेशी दिनांक 16.08.2019 को थी। इस प्रकार अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह कहना है कि दावा निर्णय हो गया है, उसकी कोई अपील नहीं है, रेकॉर्ड से झूठा साबित हो जाता है।

माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी की निगरानी अप्रार्थी के हक में पंचायत द्वारा जारी पट्टे के खिलाफ है। माननीय न्यायालय को यह तय करना है कि ग्राम पंचायत ने तथाकथित पट्टा जो अप्रार्थी के हक में जारी किया है, वैध है या अवैध एवं निरस्त करने योग्य है। अप्रार्थी ने पट्टे को लेकर कोई सिविल वाद पेश कर दिया एवम् सिविल वाद का निर्णय हो गया उससे सिविल न्यायालय का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उसका प्रार्थी की निगरानी पर कोई विपरित असर नहीं पड़ता है एवम् न ही माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर उसका कोई असर पड़ता है। सिविल न्यायालय के समक्ष पट्टे की वैधता तय करने का कोई प्रश्न नहीं था। सिविल न्यायालय ने पट्टे की वैधता बाबत कोई निर्णय नहीं किया है न ही इस बाबत कोई राय व उपधारणा की है। अप्रार्थी के अधिवक्ता बार बार सिविल न्यायालय के दावे एवम् निर्णय का जिक्र कर न्यायालय को गुमराह कर रहा है। निगरानीकर्ता ने पट्टे की वैधता पर विचार कर उस पर निर्णय करने की प्रार्थना न्यायालय से की है। पट्टा वैध जारी किया गया या नहीं, यह निर्णय माननीय न्यायालय ही करेगा, जो क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। इस पर सिविल न्यायालय की कोई पाबंदी नहीं है।

अप्रार्थी ने सिविल वाद पेश कर दिया सिविल न्यायालय का निर्णय हो गया। सिविल न्यायालय के निर्णय पर अपील पेश हो गयी। अप्रार्थी ने कोई इजराय पेश कर दी, इसका निगरानी के विचारण एवम् निर्णय पर कानूनीया कोई असर नहीं पडता है, सिविल न्यायालय के समक्ष एक ही विवादक था कि –“आया प्रतिवादी ने वादी के भूखण्ड जिसका विवरण वाद पत्र की पद संख्या-1 में दिया गया है, पर अविधिक कब्जा कर रखा है ?” इसके अलावा अन्य कोई विचारणीय बिन्दु ही नहीं था। माननीय सिविल न्यायालय ने प्रार्थी को भूखण्ड पर अतिक्रमी जरूर माना परन्तु अप्रार्थी के हक में पट्टा वैध है, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं दिया है माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है। अप्रार्थी के हक में कोई अंतिम निर्णय नहीं है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता महोदय ने बहस में यह उदाहरण दिये कि अप्रार्थी के प्लोट के पास में और भी प्लोट है, जिनके बेचाननामें है। अप्रार्थी की तरफ से जो बेचाननामें पेश किये गये उसका प्रार्थी के प्लोट से कोई लेना देना नहीं है। बेचाननामें से यह साबित नहीं होता है कि अप्रार्थी के हक में जो तथाकथित पट्टा है, वो वैध है। अप्रार्थी ने जो बेचाननामें पेश किये, उसमें भी कहीं खसरा नम्बर नहीं लिखा है कि उक्त जमीन किस खसरे में है तथा खसरे की किस्म क्या है ? बेचाननामों में जो भूखण्ड संख्या एवम् पट्टा बताया है, उक्त तमाम पट्टे अवैध है। इस प्रकार के पट्टे ग्राम पंचायत ने जारी किये हो इसका कोई रेकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है। पट्टे जारी करने बाबत जब रेकॉर्ड ही नहीं है तो पट्टा प्रावधान एवम् नियमों के तहत जारी करना नहीं माना जा सकता है, जो पट्टा प्रावधान एवम् नियमों के तहत जारी नहीं है, वो पट्टा वैध दस्तावेज नहीं हो सकता है। इस प्रकार पट्टे निरस्त करने योग्य है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी ने जवाब पेश कर 3 लोगों के शपथ पत्र पेश किये, हालांकि निगरानी प्रार्थना पत्र के जवाब पेश करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसके उपरान्त भी निगरानी का जवाब पेश किया। प्रार्थी की तरफ से जवाब का काउन्टर पेश कर प्रार्थी ने काउन्टर में अलग अलग लोगों के शपथ पत्र पेश किये। निगरानी प्रार्थना पत्र के जवाब के समर्थन में अप्रार्थी ने जवाब पेश कर शिवरतन फोफलिया, प्रकाशचन्द्र फोफलिया, हरनारायण फोफलिया के शपथ पत्र पेश किये। इन तीनों व्यक्तियों ने बिल्कुल झूठे शपथ पत्र पेश किये। अप्रार्थी स्वयं ने प्रार्थी का कब्जासुदा प्लॉट मकान होना स्वीकार किया। अप्रार्थी जिस प्लोट का हक जमा रहा है, वह प्लोट कहा है अप्रार्थी स्वयं को पता नहीं है। प्रार्थी का जिस प्लोट पर रहवास

एवम् कब्जा है उक्त प्लोट पर प्रार्थी का 33 वर्षों से रहवास एवम् कब्जा है तथा पक्का मकान बना हुआ है, जिसमें बिजली पानी की सुविधा प्रार्थी के नाम से है। अप्रार्थी का प्लोट होता तो अप्रार्थी इतने लम्बे समय तक चुप नहीं बैठता एवम् प्रार्थी को प्लोट पर मकान नहीं बनाने देता एवम् मकान में बिजली पानी का कनेक्शन नहीं लेने देता। अप्रार्थी को यह साबित करना पड़ेगा कि प्लोट पर मकान अप्रार्थी ने बनाया वो कब बनाया, कितने रूपये खर्च किये, किस कारीगर एवम् ठेकेदार ने बनाया। शिवरतन प्रकाशचंद एवम् हरनारायण जो गांव पाल के निवासी नहीं है, यह तीनों रामविलास के भाई एवम् रिश्तेदार है, इनके कहने से यह कैसे मान लिया जाए कि प्लोट प्रार्थी का नहीं है एवम् अप्रार्थी का है। प्लोट किसका है एवम् किसका नहीं है, यह प्रश्न निगरानी में विचारणीय नहीं है। निगरानी में केवल मात्र एक ही प्रश्न विचारणीय है कि तथाकथित पट्टा जो अप्रार्थी अपने हक में जारी करना बता रहा है, उक्त पट्टा पंचायत रेकॉर्ड एवम् अधिनियम में जो पट्टे जारी करने के प्रावधान एवम् नियम है, उसके अनुसार जारी है या नहीं।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के जवाब याचिका एवम् शपथ पत्र तथा पेश दस्तावेजात पर आपति एवम् काउन्टर शपथ पेश किये। अप्रार्थी ने न्यायालय की बिना स्वीकृति अपने मनमर्जी से प्रार्थी के काउन्टर शपथ एवम् आपतियों का फिर जवाब पेश किया। अप्रार्थी निगरानी के मूल विषय एवम् प्रश्न पर अपनी बात नहीं कहकर न्यायालय को गुमराह कर रहा है एवम् मूल प्रश्न एवम् विषय से भटकाना चाहता है। अप्रार्थी ने जितने दस्तावेज की फोटो कॉपियां पेश की एवम् आपतियां पेश की उसका निगरानी से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के शपथ पत्रों पर काउन्टर शपथ पत्र पाल गांव के निवासियों के किये। जिन लोगों के शपथ पत्र पेश किये उनमें रतनाराम मेघवाल गांव पाल, जगदीश मेघवाल ग्राम पाल, चेतनराम रावल पूर्व ग्राम सेवक, जेठूसिंह पुरोहित ग्राम पाल, सूजाराम मेघवाल ग्राम पाल, किस्तुरराम मेघवाल ग्राम पाल के पेश किये। शपथ पत्र पेश कर्ताओं ने इस बात को सशपथ पुष्टी की कि प्रार्थी मेघवालों राव यानि रावल है मेघवाल नहीं है। प्रार्थी गांव पाल का निवासी है। प्रार्थी का मकान पाल गांव की श्मशान भूमि के पास है, जो पाल की पुरानी आबादी से बाहर है। प्लोट पर प्रहलादराम ने पक्का मकान बनाया एवम् परिवार सहित रहता है। रामविलास माहेश्वरी पाल गांव का निवासी नहीं है। वर्ष 1976-77 में पाल गांव के सरपंच हीराराम जी थे उन्होंने पंचायत की जमीन निलाम कर कोई पट्टे जारी नहीं किये। प्रहलादराम जी ने बताया कि मेरे मकान का फर्जी पट्टा रामविलास ने बना दिया है। शपथ पत्र पेशकर्ता

जगदीश ग्राम पंचायत पाल का वर्तमान में वार्ड पंच है, उसने सशपथ इस बात की पुष्टि की है कि प्रार्थी गांव पाल का निवासी है तथा पाल गांव की श्मशान भूमि के पास प्रार्थी का पक्का मकान है, जहां प्रार्थी 30 वर्षों से अधिक समय से रह रहा है। प्रहलादराम मेरे पास आया था मुझे बताया कि रामविलास माहेश्वरी नामक का कोई व्यक्ति आया एवम् मेरे मकान का पट्टा अपने पास होना बता रहा है। आप ग्राम पंचायत के वार्ड पंच है, पट्टे बाबत रिकॉर्ड देखकर नकल दिलावे। मैंने पंचायत का पूरा रिकॉर्ड ग्राम सेवक से चैक करवाया, परन्तु रामविलास के हक सन् 1976-77 में पट्टे जारी करने का एवम् सरपंच द्वारा जमीन निलाम करने का कोई रिकॉर्ड पंचायत में होना नहीं पाया गया। शपथकर्ता चेतनराम वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत पाल का ग्राम सेवक रहा, उसने सशपथ बताया कि रामविलास माहेश्वरी पाल गांव का नहीं है। प्रार्थी गांव पाल का निवासी है तथा ग्राम पाल में प्रार्थी का पक्का रहवासीय मकान बना हुआ है, जहां आज भी मय परिवार निवास करता है। प्रार्थी ने बताया कि कोई रामविलास नामक व्यक्ति आया एवम् मुझे बताया कि तू जिस मकान में रहता है इसका पट्टा मेरे पास में है। पट्टे की फोटो कॉपी बताई तब मैंने वर्ष 1976-77 का पंचायत का पूरा रिकॉर्ड देखा। पंचायत रिकॉर्ड में रामविलास के हक में पट्टा जारी करने का कोई सबूत रिकॉर्ड नहीं है। मिसल संख्या 110/76-77 पंचायत रिकॉर्ड में नहीं है। न ही बात का कोई सबूत है कि पूर्व सरपंच ने वर्ष 1976-77 में कोई जमीन निलाम करके पट्टे जारी किये। पंचायत कोष में पट्टे की राशि जमा होने का कोई सबूत नहीं है, जो रसीद बता रहे हैं, ऐसी कोई रसीद पंचायत ने जारी नहीं की। रामविलास जिस जमीन पर पट्टा जारी करना बता रहा है। उक्त जमीन आबादी की जमीन नहीं है। रामविलास जो दिनांक 07.05.2005 की रसीद बता रहा है कि मकान बनाने की स्वीकृति ली थी। उक्त रसीद रामविलास के हक में नहीं है, रसीद श्यामसुन्दर के हक में जो उसके कमठा बाबत है, जो मेरे द्वारा जारी की गयी थी। शपथकर्ता जेदूसिंह प्रार्थी को पाल गांव का निवासी बता रहा है एवम् 30-35 वर्षों से पक्का मकान बना कर रह रहा है। शपथ पत्र पेश करता सुजाराम मेघवाल जो 75 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, उनका यह कहना है कि प्रार्थी पाल गांव का निवासी है। पाल गांव में प्रार्थी का पुराना मकान है, जो श्मशान भूमि के पास है। इसी प्रकार शपथ-पत्र पेश कर्ता किस्तुरराम भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्रार्थी गांव पाल का निवासी है तथा रामविलास नाम का कोई व्यक्ति पाल का निवासी नहीं है।

अप्रार्थी जो तथाकथित पट्टा बता रहा है कि इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने पंचायत से पट्टे की नकल मांगी तो नकल नहीं दी गयी। इसके बाद सूचना के अधिकार के तहत पट्टे की नकल एवम् रेकॉर्ड की नकल मांगी गयी तो ग्राम पंचायत ने लिखित रूप में दिया कि रामविलास माहेश्वरी के हक में पट्टा जारी करने का कोई रेकॉर्ड पंचायत में नहीं है। दिनांक 04.02.2019 को ग्राम पंचायत पाल की उप-सरपंच ममता मेघवाल ने प्रमाण पत्र जारी किया कि प्रार्थी गांव पाल का निवासी है तथा पाल गांव के खसरा नम्बर-103 शमसान की भूमि के पास प्रार्थी का निवासी है। प्रार्थी के प्लॉट पर पूर्व में किसी का कब्जा नहीं था। ममता मेघवाल प्रार्थी की जाति की नहीं है। प्रार्थी मेघवालों का राव है तथा ममता मेघवाल है। ममता मेघवाल का प्रार्थी से कोई रिश्ता नहीं है। अप्रार्थी ने झूठा शपथ पत्र पेश किया कि ममता मेघवाल प्रार्थी की बेटी है। झूठे शपथ पत्र पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के खिलाफ पुलिस में शिकायत पेश कर दी है। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

तथाकथित अप्रार्थी जो अपने हक में पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना बता रहा है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत के सम्पत्ति दर्ज रजिस्टर में उल्लेखित नहीं है। ग्राम पंचायत ने राज्य सरकार से भूमि परिवर्तन करवाकर सक्षम अधिकारी से निलामी की कोई स्वीकृति नहीं ली जमीन का कोई प्लान उपलब्ध नहीं है, निलामी की कार्यवाही का कोई सबूत दस्तावेज नहीं है, निलामी बोली का कोई रेकॉर्ड नहीं है, निलामी बाबत कोई नोटिस सूचना नहीं है, भूमि की कीमतन रकम ग्राम पंचायत कोष में जमा नहीं है, ग्राम पंचायत ने भवन बनाने की स्वीकृति दी हो, इसका कोई रेकॉर्ड सबूत नहीं है। पट्टा जारी करने का पंचायत में किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। उपरोक्त सारे तथ्य पंचायत ने उजागर लिखित रूप में प्रार्थी को दिये है। माननीय न्यायालय ने जब ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड मंगवाया तब ग्राम पंचायत ने न्यायालय के समक्ष कोई रेकॉर्ड पेश नहीं किया है इसलिये अप्रार्थी के पास जो पट्टा है, वह किसी भी सूरत में वैध पट्टा नहीं है। पट्टा केवल मात्र एक कागज का टुकड़ा है, जो अवैधानिक तरीके से तैयार किया गया है। पट्टे को निरस्त फरमाया जावे।

पट्टे की वैधता तय करने का कोई दावा पूर्व में किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं रहा। पूर्व में किसी न्यायालय ने पट्टे की वैधता का विवाद्यक कायम कर कोई आदेश निर्णय नहीं किया है। पट्टे की वैधता तय करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। पूर्व में किसी सिविल कोर्ट का कोई निर्णय आदेश नहीं है कि माननीय न्यायालय पट्टे की वैधता तय नहीं कर सकता एवम् पट्टे को निरस्त नहीं कर सकता है।

अप्रार्थी द्वारा पेश सिविल दावा एवम् निगरानी का कोई सम्बन्ध नहीं है। दावे में अलग विचारणीय बिन्दु रहा है एवम् निगरानी में अलग विचारणीय बिन्दु है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अप्रार्थी के हक में जो तथाकथित पट्टा है, उसे निरस्त फरमाया जावे। अन्य उचित आदेश जो न्यायसंगत हो फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक श्री एस० के० चाण्डक ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 नौकरी के कारण ग्राम खारिया खंगार में रहता है। मूल रूप से अप्रार्थी रामविलास व उसके परिवार वाले पिता, दादा व पड़दादा गांव पाल के निवासी थे। आज भी अप्रार्थी के दादा के परिवार वाले अन्य सदस्य गांव पाल के स्थायी निवासी है। मौके पर जाकर प्रहलादराम के बारे में जानकारी लेने पर पड़ौसियों ने बताया कि प्रहलादराम 1985 से पूर्व से अन्य लोगों से खरीदशुदा खाली भूखण्डों पर कब्जा करता है तथा आगे बेचान कर देता है। वास्तविक मालिक को परेशान करता है। प्रार्थी के घरवाले राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है जो पंचायत व अन्य संस्थाओं के सदस्य रहे है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त भूखण्ड पर मालिकाना अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 का ही है। यदि प्रार्थी ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर भी लिया है तो उसे मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं होता। प्रार्थी इस तरह अनेकों भूखण्डों पर कब्जा कर वास्तविक मालिकों को ब्लैकमेल करता आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी में एक शब्द के लिये यह भी नहीं बताया कि विवादग्रस्त भूमि पर उसका स्वामित्व अधिकार कब व कैसे है? जबकि दोनों के बीच वर्ष 2004 से यानि की 13-14 वर्ष से हाईकोर्ट व जिला न्यायालय में प्रकरण चल रहे है। इन सब तथ्यों को छूपाते हुए बिना किसी अधिकार यह याचिका पेश की गई है। इस भूमि के संबंध में किसी पंचायत को न तो प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता है और न ही कोई पंचायत किसी प्रकार का दस्तावेज दे सकती है। इस विवादग्रस्त भूमि के पट्टे में वर्णित पड़ौस में आज भी मौके पर काबिज है। इस खसरे में 1976 को कई व्यक्तियों को ग्राम पंचायत पाल द्वारा पट्टे जारी किये है। इन पट्टों के आधार पर भूमि क्रय-विक्रय होते रहे है।

अप्रार्थी संख्या 1 के योग्य अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि प्रार्थी ने इस विवादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 28.04.1988 को निर्माण स्वीकृति देना बताया

तथा ग्राम पंचायत द्वारा भौतिक कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 को दिया गया जबकि प्रार्थी रामविलास के भूखण्ड में किरायेदार की हैसियत से रहा है और उस भूखण्ड को खाली करने के लिये सिविल न्यायालय से डिक्री भी रामनिवास के पक्ष में जारी की गई। प्रार्थी ने इसे उच्च न्यायालय में रिट के रूप में चुनौती दी गई जो एक बार खारिज कर दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा संख्या 28 मिसल संख्या 110 प्लॉट नं० 5/13 की पूर्व दिशा में राहुल इण्डस्ट्रीज आई हुई है जो कूलर बनाने का कार्य करती है। यह तथ्य प्रार्थी ने अपर जिला न्यायालय में मूलवाद की जिरह में स्वीकार किया है। प्रार्थी उक्त पट्टे को लगभग 42 वर्ष के बाद निगरानी प्रस्तुत की है जो न्यायहित में उचित नहीं है। प्रार्थी के पास मालिकाना हक संबंधी किसी प्रकार का कोई साक्ष्य व दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हुए है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया किया है कि प्रस्तुत निगरानी लम्बे अन्तराल के बाद प्रस्तुत की है। इस बाबत निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

1. 2019 AIR (SC) - 1423 Estate officer vs Gopi chand
2. 2019 AIR (SC) - 1430 Raghvendra vs Ramprasanna
3. 2018 DNJ (SC)- 1175 Mohd. Sahid vs Razia
4. 2008 (3) civ. cc 548 (SC) - Bogidhola Tea vs Hiralal Somani
5. 2014 (3) WLN-396 Badri Prasad vs State
6. 2010 (3) WLN -385 Phoosa Ram vs Jugal
7. AIR 1998 Raj-123 State vs M/S Choudhary Cons.
8. 2019 (1) Civil Court Cases- 342 (DB) Dilip Kumar Patra vs M. Gopi Krishna
9. 2018(4)DNJ- 1363 State vs Man Singh

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अभिभाषकगणों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 रामविलास पुत्र मोहनलाल जाति माहेश्वरी को ग्राम पंचायत पाल द्वारा 27.11.1976 को पट्टा न० 28 मिसल संख्या 110/76-77 जारी किया होना बताया गया है लेकिन ग्राम पंचायत, पाल को उक्त जारी

पट्टे से संबंधित मूल रेकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था लेकिन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत, पाल पंचायत समिति, लूणी ने अपने पत्रांक 171 दिनांक 15.11.2018 के द्वारा लिखित में अवगत कराया कि उक्त जारी पट्टे से संबंधित रेकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 2, जोधपुर के सिविल प्रकरण संख्या 108/2007 निर्णय दिनांक 21.05.2007 के अनुसार प्रार्थी को विवादग्रस्त पट्टे से संबंधित भूखण्ड से बेदखल करने के आदेश पारित किया गया। उक्त न्यायालय में विवादग्रस्त पट्टा संख्या 28 जो रामविलास पुत्र मोहनलाल को जारी पट्टे को संबंधित कोर्ट में पेश किया गया। उक्त जारी पट्टे से संबंधित शुल्क जरिये रसीद संख्या 16 दिनांक 27.11.1976 की छायाप्रति से ताहिद होती है।

प्रार्थी द्वारा वर्ष 1976 को जारी पट्टे को इस न्यायालय में वर्ष 2017 में चुनौती दी गई जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 2004 से मुकदमेबाजी चल रही है फिर भी प्रार्थी ने 2017 लगभग 41 वर्ष बाद में निगरानी प्रस्तुत की। निगरानी प्रस्तुत करने का कोई ठोस आधार निगरानी में जाहिर नहीं किया। अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि लम्बे अन्तराल के बाद निगरानी प्रस्तुत की गई है जो निरस्त योग्य है। इस बाबत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कई न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये हैं।

प्रकरण से संबंधित मूल पट्टे, मिसल व अन्य दस्तावेज के लिये कार्यालय ग्राम पंचायत पाल, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर को लिखा गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पाल, पंचायत समिति लूणी ने अपने पत्रांक क्रमांक 171 दिनांक 15.11.2018 से अवगत कराया कि पट्टा संख्या 28 मिसल संख्या 110/76-77 श्री रामविलास पुत्र मोहनलाल के नाम से जारी पट्टे का ग्राम पंचायत में रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अप्रार्थी रामविलास को विवादग्रस्त पट्टे वाली भूमि पर कमठा निर्माण की इजाजत कार्यालय ग्राम पंचायत पाल पंचायत समिति लूणी द्वारा दिनांक 28.04.88 को प्रदान की गई।

प्रस्तुत पंचायत निगरानी प्रार्थी ने यह निगरानी दिसम्बर 2017 को पेश की जबकि विवादित पट्टे वाली आराजी की जानकारी वर्ष 2004 में ही प्रार्थी को हो गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में सलंग्न प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में जाहिर किया सन् 2008 में यानि 32 वर्ष बाद पट्टा उजागर किया। इससे पहले इस पट्टे की जानकारी नहीं थी। उक्त पट्टे की फोटो कॉपी ही पेश की, असल पट्टा पेश नहीं

किया। प्रार्थी ने लगभग 41 वर्ष बाद निगरानी पेश की तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण अपने प्रार्थना-पत्र में भी जाहिर नहीं किया है।

प्रार्थी ने अपनी निगरानी में विवादित पट्टे वाला भू-खण्ड खसरा न. 105 किस्म गै० मु० आगोर होना बताया है, इस बाबत प्रार्थी ने कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी को खसरा संख्या 105 में पट्टा जारी किया गया है।

**—:आदेश:—**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पंचायत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर।

